

<p>तारीख क्रमांक</p>	<p>हुयम या कार्यवाही मग इनिशियलस जज</p>	<p>नम्बर व ता अहकाम जो हुयम घरी ता में जारी है</p>
<p>7.8.19</p>	<p>पमावली पेरा दुई / अधिवक्तामण इंस व्यापिक / ... / P.O. सा. भीटिंग / ... / पमावली वास्तो ... दिनांक 19.8.19 को पेरा हो। <i>(Signature)</i></p>	
<p>19.8.19</p>	<p>फावली पेसा वकील पस. उपा. (बंद) कुमी वार्त आदेश 26/8/19 का फेर हो।</p>	
<p>26.8.19</p>	<p>पमावली पेरा / वकील पसकार उपस्थित हो। पमावली का आरोपान्त जल मनन भवलोत्तन किया गया। शर्ती के डाठ पत्र, जवाब. एवं मौका कमिशनर रिपोर्ट का सम्पक भवलोत्तन किया। प्रकल में शर्ती का सुविधा का संलुप्त नहीं है, आरे न ही शर्ती का अपरिमित क्षति लेना संभाव्य ही प्रकल का धारा 212 की शर्ती भय परीक्षण किया गया। शर्ती का शर्तीना पत्र अख्याई आदेश की शर्ती भय का फुल-फिल नहीं करता ही। प्रकल के उदादापुत्र पर सम्पक विचारोपान्त एम डाठ फर शर्ती का अस्वीकार किया जाना उचित पाते ही। अतः डाठ पत्र शर्ती खारिज किया जाता ही फावली के सत सुकार लेक इन्वॉड मि० नं० 193/19 का साम संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 26/8/19 का मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया। <i>(Signature)</i> 26/08/19 (निमनलाल भीका) उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डो</p>	